eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

लोक अदालतों और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) की प्रासंगिकता (1947–2022)

सतीश तिवारी[1]
[1]प्राचार्य, कौशलेन्द्र राव ला कालेज, बिलासपुर, छत्तीसगढ

Received: 10 July 2022, Accepted: 20 July 2022, Published with Peer Reviewed on line: 31 July 2022

Abstract

भारत में न्यायिक प्रणाली की जटिलताओं और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या ने वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणालियों की आवश्यकता को रेखांकित किया है। लोक अदालतें, ADR का एक महत्वपूर्ण अंग, न्याय तक सुलभता, त्वरित समाधान और न्यूनतम लागत पर विवादों के निपटारे का माध्यम प्रदान करती हैं। यह शोध पत्र 1947 से 2022 तक लोक अदालतों और ADR प्रणालियों के विकास, प्रभावशीलता और प्रासंगिकता का विश्लेषण करता है। इसके अंतर्गत कानूनी ढांचे, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक प्रभाव, और भविष्य की संभावनाओं पर चर्चा की गई है।

कीवर्ड – लोक अदालत, वैकल्पिक विवाद समाधान, ADR, न्याय सुलभता, कानूनी सेवाएं, भारत, न्यायिक सुधार, वैकल्पिक न्याय प्रणाली, सामाजिक न्याय, विवाद निपटान।

Introduction

भारत में न्यायिक प्रणाली की जटिलता और लंबित मामलों की बढ़ती संख्या लंबे समय से चिंता का विषय रही है। देश में प्रतिवर्ष लाखों नए मामले दर्ज होते हैं, जिससे न्यायालयों पर भारी बोझ पड़ता है। इन परिस्थितियों में, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (Alternative Dispute Resolution – ADR) न्याय तक शीघ्र और किफायती पहुँच का महत्वपूर्ण साधन बनकर उभरी है। लोक अदालतें (Lok Adalats), ADR की एक विशिष्ट विधा के रूप में, भारतीय संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक और प्रभावी मानी जाती हैं। वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का विचार भारतीय समाज में नवीन नहीं है। प्राचीन काल में भी पंचायतें, ग्राम सभाएँ और अन्य सामाजिक संस्थाएँ विवादों का सामूहिक समाधान करती थीं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, न्याय प्रणाली में बढ़ते बोझ और मुकदमों के लम्बे समय तक लंबित रहने की समस्या को देखते हुए, ADR को औपचारिक स्वरूप देने की आवश्यकता अनुभव की गई। इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम 1987 में कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम (Legal Services Authorities Act) के रूप में सामने आया, जिसके तहत लोक अदालतों को वैधानिक मान्यता प्रदान की गई। लोक अदालतें वह मंच हैं जहाँ विवादों का निपटारा आपसी सहमति और मध्यस्थता (mediation) के माध्यम से होता है। यह प्रणाली न केवल अदालतों के लंबित मामलों को कम करने में सहायक होती है, बल्कि लोगों को सुलभ, त्वरित और किफायती न्याय भी प्रदान करती है। लोक अदालतों का उद्देश्य न्याय को औपचारिक प्रक्रियाओं से मुक्त कर, पक्षकारों को आपसी सहमति से विवाद निपटाने की सुविधा देना है।

भारतीय संविधान और लोक अदालतें– भारतीय संविधान में अनुच्छेद 39 क के तहत सभी नागरिकों को न्याय तक समान और सुलभ पहुँच का अधिकार सुनिश्चित किया गया है। लोक अदालतें इस संवैधानिक प्रावधान की व्यावहारिक अभिव्यक्ति हैं, जो विशेषकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्याय तक पहुँच

प्रदान करती हैं। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम ने लोक अदालतों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया, जिससे यह व्यवस्था औपचारिक और कानूनी स्वरूप में परिणत हुई।

शोध का उद्देश्य और प्रासंगिकता– यह शोध पत्र 1947 से 2022 तक लोक अदालतों और ADR प्रणालियों के विकास, उनके प्रभाव, सामाजिक स्वीकार्यता, और कानूनी मान्यता का गहन अध्ययन प्रस्तुत करता है। इसमें लोक अदालतों की संरचना, उनके विभिन्न प्रकार, कार्यप्रणाली, सामाजिक और कानूनी प्रभावों, साथ ही उनके समक्ष उपस्थित चुनौतियों और भविष्य की संभावनाओं का विश्लेषण किया गया है।

शोध की आवश्यकता– भारत जैसे विशाल और विविधता से परिपूर्ण देश में जहाँ जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा न्यायालयों तक पहुँच में कठिनाई अनुभव करता है, वहाँ ADR और विशेषकर लोक अदालतों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। न्यायिक प्रक्रियाओं में देरी और मुकदमों की बढ़ती संख्या ने ADR प्रणालियों को अपरिहार्य बना दिया है। इस शोध में लोक अदालतों और ।क्त प्रणाली की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण कर, उनके भविष्य को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उपाय सुझाए गए हैं।

परिकल्पना (Hypothesis)– लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली भारत में न्याय प्रक्रिया को सरल, शीघ्र और किफायती बनाने में प्रभावी साबित हुई हैं। अतः यह परिकल्पना है कि–

लोक अदालतों और ADR प्रणाली ने 1947 से 2022 के बीच न्याय सुलभता को बढ़ावा दिया है।

ये प्रणालियाँ न्यायिक प्रक्रिया के बोझ को कम कर, सामाजिक विवादों के शांति पूर्ण समाधान में सहायक हैं।

हालांकि, जागरूकता, संसाधनों की कमी और विधिक संरचना की सीमाओं के कारण इनकी प्रभावशीलता में बाधाएँ भी हैं।

यदि उचित नीतिगत सुधार और तकनीकी सुधार किए जाएं, तो लोक अदालतें और ADR प्रणाली भविष्य में अधिक प्रभावी और समावेशी बन सकती हैं।

शोध प्राविधि (Research Methodology)– यह शोध प्रासंगिक पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, शोध लेखों, सरकारी रिपोर्टों, और कानूनी दस्तावेजों के अध्ययन पर आधारित है। सांख्यिकीय आंकड़ों का विश्लेषण भी किया गया है जिससे लोक अदालतों की प्रभावशीलता का वास्तविक मूल्यांकन किया जा सके। साथ ही, विभिन्न समयावधि में लोक अदालतों और ADR प्रणाली में आए परिवर्तनों को रेखांकित किया गया है।

लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली भारतीय न्यायिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी हैं। यह शोध उनके विकास, प्रभाव और प्रासंगिकता पर केंद्रित है। लोक अदालतों ने न्याय तक पहुँच को अधिक सरल और त्वरित बनाया है, विशेषकर उन वर्गों के लिए जो पारंपरिक न्यायालयों की प्रक्रिया में खुद को असहाय पाते थे। इस शोध का उद्देश्य ADR प्रणालियों और लोक अदालतों की भूमिका को व्यापक परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत करना और उनके भविष्य के लिए सुझाव देना है।

भारत में ADR की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि– वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली (ADR) की अवधारणा भारतीय समाज के लिए नई नहीं है। भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक परंपराओं में विवाद समाधान के सामूहिक और अनौपचारिक ढाँचे की गहरी जड़ें रही हैं। जहाँ आज ADR को कानूनी और संस्थागत स्वरूप में देखा जाता है, वहीं इसके मूल तत्व सदियों से भारतीय समाज के ताने–बाने में अंतर्निहित हैं। इस अध्याय में भारत में ADR की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का क्रमबद्ध और विस्तृत अध्ययन किया जाएगा।

eISSN 2581-8996
ONLINE
THE INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Vol. 5, Issue 02, July 2022

प्राचीन भारत में ADR की परंपराएँ–

पंचायत प्रणाली– भारत में गाँवों की सामाजिक व्यवस्था में पंच परमेश्वर या पंचायत प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गाँव की पंचायतें छोटे–बड़े विवादों का निपटारा करती थीं। ये पंचायती निर्णय समाज द्वारा सम्मानित और मान्य माने जाते थे। पंचायतें आपसी सहमति, मध्यस्थता और लोक व्यवहार के आधार पर निर्णय देती थीं, जिससे विवाद दीर्घकालिक नहीं बनते थे और सामाजिक संबंधों में खटास नहीं आती थी।

धर्मशास्त्रों और स्मृतियों में उल्लेख– प्राचीन ग्रंथों जैसे मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और नारद स्मृति में भी विवाद समाधान की प्रक्रियाओं का उल्लेख मिलता है। इनमें न्यायिक व्यवस्था के साथ–साथ मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया को मान्यता दी गई थी। उदाहरणस्वरूप, कुल, श्रेणी और पुग जैसे संगठनों के माध्यम से व्यापारिक और सामाजिक विवादों का समाधान किया जाता था।

व्यापारी संघ और श्रेणियाँ– व्यापारी समुदायों में श्रेणियाँ और गिल्ड्स (GuildS) के माध्यम से व्यापारिक विवादों का निपटारा किया जाता था। ये निकाय स्वयं के नियमों और आचार संहिता के तहत काम करते थे और सदस्यों के बीच विवादों का निष्पक्ष समाधान करते थे। मध्यकालीन भारत में भी पारंपरिक पंचायतें और कबीलाई निकाय विवाद समाधान के लिए सक्रिय रहे। मुस्लिम शासनकाल में शरिया कानून और काज़ी की अदालतों के साथ–साथ स्थानीय स्तर पर विवादों के समाधान के पारंपरिक ढाँचे बने रहे। हिन्दू और मुस्लिम समुदायों में विवाह, संपत्ति, अनुबंध और व्यापारिक विवादों का समाधान आपसी सहमति और मध्यस्थता से होता था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय न्याय प्रणाली में औपचारिक अदालतों की स्थापना की गई और अंग्रेजी कानूनों का प्रभाव बढ़ा। हालांकि, ब्रिटिश शासन में भी पंचायतों और पारंपरिक निकायों को पूरी तरह समाप्त नहीं किया गया। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायतें कार्यरत रहीं। ब्रिटिश सरकार ने भारतीय विधान में 'Code of Civil Procedure, 1908 के तहत Order XXIII Rule 3 के माध्यम से समझौते (Compromise) को मान्यता दी। इससे मुकदमों के बाहर पक्षकारों के बीच सुलह को कानूनी वैधता दी गई। इसी तरह Arbitration Act- 1940 को पारित किया गया, जिसने मध्यस्थता और पंच निर्णय की औपचारिक प्रक्रिया को वैधानिक रूप प्रदान किया। इसने औपचारिक अदालतों से बाहर विवाद निपटाने की संस्कृति को प्रोत्साहित किया।

स्वतंत्र भारत में ADR की पुनर्परिभाषा– भारतीय संविधान में ADR की अवधारणा– 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारतीय संविधान ने न्याय तक समान और सुलभ पहुँच की अनिवार्यता को मान्यता दी। अनुच्छेद 39 क विशेष रूप से सभी नागरिकों को निःशुल्क कानूनी सहायता और न्याय तक समान पहुँच की गारंटी देता है। यह प्रावधान वैकल्पिक विवाद समाधान और लोक अदालतों की स्थापना का संवैधानिक आधार है।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987– स्वतंत्रता के बाद न्यायपालिका में लंबित मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई, जिससे न्याय तक शीघ्र पहुँच चुनौतीपूर्ण बन गई। इस पृष्ठभूमि में, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) पारित किया गया, जिसने लोक अदालतों की स्थापना का कानूनी आधार प्रदान किया। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर लोक अदालतें गठित की गईं, जो त्वरित, सरल और सुलभ न्याय प्रदान करने का साधन बनीं।

1996 का मध्यस्थता और सुलह अधिनियम– Arbitration and Conciliation Act, 1996 ने भारत में मध्यस्थता और सुलह की प्रक्रिया को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यवस्थित किया। यह अधिनियम यूएनसीआईटीआरएएल (UNCITRAL) मॉडल कानून पर आधारित है और व्यापारिक विवादों के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

ADR की आधुनिक स्थिति और वैश्विक प्रभाव– आज भारत में ADR प्रणाली में पंच निर्णय (rbitration), सुलह (conciliation), मध्यस्थता (mediation) और लोक अदालतें शामिल हैं। वैश्वीकरण और व्यापारिक विस्तार के साथ, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता (International Commercial Arbitration) का महत्व बढ़ा है। इससे भारतीय ADR प्रणाली को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप ढालने की दिशा में प्रगति हुई है। भारत में ADR की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। प्राचीन पंचायतें, धर्मशास्त्रों में वर्णित समाधान विधियाँ, व्यापारी संघ, और ब्रिटिश काल की कानूनी व्यवस्थाएँ – सभी ने ADR की वर्तमान प्रणाली की नींव रखी है। स्वतंत्र भारत में ADR को संवैधानिक और वैधानिक मान्यता मिली, जिससे लोक अदालतों और ADR प्रणाली का औपचारिक विकास संभव हुआ। यह अध्याय इस ऐतिहासिक यात्रा का क्रमिक और विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत करता है।

लोक अदालतों का विकास और कानूनी ढांचा– लोक अदालतें भारतीय न्याय व्यवस्था का एक ऐसा अभिनव और आवश्यक अंग हैं, जिनका उद्देश्य न्यायालयों में लंबित मामलों को कम करना और त्वरित, सुलभ, तथा किफायती न्याय प्रदान करना है। यह अध्याय लोक अदालतों की ऐतिहासिक यात्रा, उनके कानूनी ढाँचे और विकास क्रम का विस्तारपूर्वक विश्लेषण करेगा। भारत में पंचायतें और समुदाय आधारित विवाद समाधान तंत्र प्राचीन काल से ही मौजूद थे। स्वतंत्रता के बाद, जब न्यायालयों में मुकदमों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई, तब लोक अदालतों जैसी प्रणाली की आवश्यकता अनुभव की गई। भारतीय न्यायपालिका में लंबित मामलों की समस्या के समाधान हेतु 1970 और 1980 के दशक में कई प्रयास आरंभ हुए। उच्चतम न्यायालय और विधि आयोग की सिफारिशों ने इस दिशा में मार्गदर्शन किया। 1982 में हरियाणा में पहली बार आधुनिक लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसकी सफलता ने पूरे देश में इस व्यवस्था के विस्तार का मार्ग प्रशस्त किया।

कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987)– लोक अदालतों को कानूनी मान्यता और स्थायी स्वरूप प्रदान करने हेतु कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 पारित किया गया। यह अधिनियम 9 नवंबर 1995 से प्रभाव में आया। इसके तहत राष्ट्रीय, राज्य, जिला और तालुका स्तर पर विधिक सेवा प्राधिकरणों (Legal Services Authorities) की स्थापना की गई। लोक अदालतों को विवाद समाधान के लिए वैधानिक मान्यता दी गई। उनके निर्णयों को न्यायालय के आदेश के समकक्ष माना गया।

लोक अदालतों की संरचना और कार्यप्रणाली– लोक अदालतें विभिन्न स्तरों पर गठित की जाती हैं–

राष्ट्रीय स्तर– राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA)
राज्य स्तर – राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (SLSA)
जिला स्तर – जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA)
तालुका स्तर – तालुका विधिक सेवा समिति

लोक अदालतें स्थायी भी हो सकती हैं और समय–समय पर विशेष अवसरों पर भी आयोजित की जा सकती हैं। लोक अदालतें आपसी सहमति (mutual settlement) के आधार पर विवादों का निपटारा करती हैं। पक्षकारों के बीच समझौता होने पर लोक अदालत का निर्णय अंतिम और न्यायालय के आदेश के समान होता है। कोई भी पक्षकार लोक अदालत के निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकता, लेकिन यदि पक्षकार असंतुष्ट है तो वह पुनः सामान्य न्यायालय की प्रक्रिया अपना सकता है।

मामलों का चयन– लोक अदालतों में वे मामले लिए जाते हैं–

जो न्यायालय में लंबित हों और दोनों पक्ष समाधान हेतु सहमत हों।
जो न्यायालय में दायर न हुए हों, परन्तु दोनों पक्ष लोक अदालत में जाने को तैयार हों।
जैसे – मोटर दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, चेक बाउंस मामले, श्रम विवाद, आदि।

लोक अदालतों के प्रकार–

1- स्थायी लोक अदालतें (Permanent Lok Adalats) – विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं से संबंधित विवादों (जैसे परिवहन, डाक, दूरसंचार) के लिए स्थापित। इनका निर्णय न्यायालय के आदेश के समकक्ष होता है।
2– राष्ट्रीय लोक अदालतें (National Lok Adalats) – देशभर में एक साथ आयोजित विशेष कार्यक्रम, जिनमें लाखों मामलों का समाधान किया जाता है।
3– मोबाइल लोक अदालतें (Mobile Lok Adalats) – दूरदराज के इलाकों में लोगों को न्याय पहुँचाने हेतु गठित मोबाइल टीमें।

कानूनी ढाँचा और लोक अदालतों की वैधता– कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 लोक अदालतों की स्थापना और उनके निर्णय की वैधता का मूल आधार है। अनुच्छेद 39 क भारतीय संविधान में न्याय तक समान पहुँच का प्रावधान करता है, जिससे लोक अदालतों का संवैधानिक समर्थन मिलता है। Code of Civil Procedure (Order 23 Rule 3) सुलह और समझौते की प्रक्रिया को कानूनी मान्यता प्रदान करता है, जो लोक अदालतों में लागू होता है। Arbitration and Conciliation Act, 1996 ने मध्यस्थता और सुलह को सशक्त बनाया है, जिससे लोक अदालतों की प्रक्रिया को मजबूती मिली है।

लोक अदालतों की उपलब्धियाँ (1947–2022)– लाखों लंबित मामलों का समाधान किया गया। त्वरित और किफायती न्याय की व्यवस्था ने आम जनता का विश्वास जीता। सामाजिक सद्भाव और संबंधों की पुनर्स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। न्यायपालिका के बोझ को कम करने में उल्लेखनीय योगदान।

चुनौतियाँ और सुधार की आवश्यकता– पक्षकारों की सीमित जागरूकता और लोक अदालतों में पहुँच की कमी। कुछ मामलों में पक्षकारों पर दबाव डालकर समझौता कराने की शिकायतें। स्थायी लोक अदालतों की सीमित संख्या और उनका विस्तार आवश्यक। अधुनातन प्रौद्योगिकी का उपयोग बढ़ाकर लोक अदालतों की दक्षता में सुधार की आवश्यकता। लोक अदालतों का विकास भारतीय न्यायिक प्रणाली के विकेंद्रीकरण और जनता को त्वरित न्याय दिलाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 और संविधान के अनुच्छेद 39 क ने लोक अदालतों को सशक्त आधार प्रदान किया। हालाँकि, इस प्रणाली को और प्रभावी बनाने हेतु जागरूकता, तकनीकी सशक्तीकरण और व्यापक पहुँच की आवश्यकता है।

लोक अदालतों के प्रकार और कार्यप्रणाली– लोक अदालतें भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली का एक महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। इनका मुख्य उद्देश्य न्याय तक पहुँच को सरल, त्वरित और किफायती बनाना है। विभिन्न स्तरों और प्रकारों में लोक अदालतों की स्थापना की जाती है ताकि अधिकतम विवादों का समाधान किया जा सके। इस अध्याय में हम लोक अदालतों के प्रमुख प्रकार और उनकी कार्यप्रणाली पर प्रकाश डालेंगे।

भारतीय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की लोक अदालतों का प्रावधान किया गया है।

स्थायी लोक अदालतें (Permanent Lok Adalats) – ये विशेष रूप से सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं (Public Utility Services) से संबंधित विवादों के समाधान हेतु गठित होती हैं। इनमें परिवहन, डाक, दूरसंचार, जलापूर्ति, बिजली, आदि से संबंधित मामले आते हैं। स्थायी लोक अदालतों में विवाद की प्रारंभिक सुनवाई होती है और यदि समझौता न हो तो निर्णय दिया जा सकता है। कानूनी प्रावधान, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22B और 22C में इनकी स्थापना और कार्यप्रणाली का प्रावधान है।

राष्ट्रीय लोक अदालतें (National Lok Adalats)– ये पूरे देश में एक ही दिन पर सभी स्तरों (राज्य, जिला, तालुका) पर आयोजित होती हैं। इनका आयोजन वर्ष में कई बार किया जाता है, जिनमें लाखों मामलों का समाधान किया जाता है। इनमें लंबित और पूर्व विवादों (Pre&litigation cases) का निपटारा आपसी समझौते द्वारा किया जाता है।

मोबाइल लोक अदालतें (Mobile Lok Adalats)– ये दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को न्याय सुविधा पहुँचाने हेतु गठित की जाती हैं। बसों या अन्य वाहनों में न्यायिक अधिकारियों की टीम पहुँचकर लोगों के विवादों का समाधान करती है। इसका उद्देश्य ग्रामीण और वंचित वर्ग तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करना है।

नियमित लोक अदालतें (Regular Lok Adalats)– ये जिला और तालुका विधिक सेवा प्राधिकरणों के तत्वावधान में नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। इनमें लंबित मामलों का निपटारा आपसी समझौते से किया जाता है।

लोक अदालतों की कार्यप्रणाली– लोक अदालतों की कार्यप्रणाली सरल, लचीली और संवाद आधारित होती है। इसकी प्रक्रिया निम्नलिखित है–

विवादों का चयन– लोक अदालतों में वे विवाद स्वीकार किए जाते हैं जो दोनों पक्षों की आपसी सहमति से सुलझाए जा सकते हैं। इनमें मोटर दुर्घटना दावा, बैंक ऋण विवाद, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि विवाद, चेक बाउंस मामले आदि शामिल होते हैं।

प्रारंभिक प्रक्रिया– विधिक सेवा प्राधिकरण दोनों पक्षों को नोटिस भेजता है और उन्हें लोक अदालत में उपस्थित होने के लिए कहता है। विवाद से संबंधित दस्तावेज़ और विवरण प्रस्तुत किए जाते हैं।

मध्यस्थता और समझौता– न्यायिक अधिकारी और संबंधित पक्षकार आपसी वार्ता और मध्यस्थता के माध्यम से विवाद का समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। यदि समझौता हो जाता है, तो उसे लिखित रूप में दर्ज किया जाता है।

निर्णय और वैधता– लोक अदालत का निर्णय आपसी समझौते पर आधारित होता है और न्यायालय के आदेश के समकक्ष वैध माना जाता है। पक्षकार इस निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं कर सकते, लेकिन यदि कोई पक्ष असंतुष्ट है, तो वह सामान्य न्यायालय में पुनः दावा कर सकता है। लोक अदालतों की कार्यप्रणाली की प्रमुख विशेषताएँ– त्वरित और सरल प्रक्रिया, विवादों का शीघ्र निपटारा होता है। कोई न्यायालय शुल्क नहीं, लोक अदालतों में मामला दर्ज करने हेतु कोई शुल्क नहीं लिया जाता। आपसी समझौता आवश्यक, निर्णय तभी होता है जब दोनों पक्ष समझौते को स्वीकार करते हैं। अनौपचारिक वातावरण, लोक अदालतों में कार्यवाही अनौपचारिक और संवाद–प्रधान होती है। फैसले की वैधता, निर्णय न्यायालय के आदेश के समान प्रभावी होता है।

लोक अदालतों की सीमाएँ और चुनौतियाँ– कभी–कभी पक्षकारों पर समझौते हेतु दबाव डालने की शिकायतें होती हैं। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जागरूकता की कमी। कुछ मामलों में कानूनी जटिलताओं के कारण लोक अदालतें सीमित होती हैं।

लोक अदालतें भारत में वैकल्पिक विवाद समाधान प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग हैं। इनके विभिन्न प्रकार और कार्यप्रणाली ने न्यायिक प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाया है। स्थायी लोक अदालतों, राष्ट्रीय लोक अदालतों, मोबाइल लोक अदालतों और नियमित लोक अदालतों ने देशभर में लाखों मामलों का समाधान करके न्यायपालिका के बोझ को कम किया है। इनकी कार्यप्रणाली संवाद और समझौते पर आधारित होती है, जिससे सामाजिक सौहार्द और विश्वास की भावना बढ़ती है।

लोक अदालतों की प्रभावशीलता और सांख्यिकीय विश्लेषण– लोक अदालतों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य लंबित मामलों को कम करना और त्वरित न्याय प्रदान करना है। पिछले कुछ दशकों में लोक अदालतों ने न्यायपालिका पर दबाव को कम करने और लोगों को शीघ्र न्याय उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस अध्याय में हम लोक अदालतों की प्रभावशीलता का विश्लेषण करते हुए इसके सांख्यिकीय आँकड़ों का अवलोकन करेंगे।

त्वरित न्याय की उपलब्धता– लोक अदालतों में विवादों का निपटारा पारंपरिक अदालतों की तुलना में कहीं अधिक तेजी से होता है। पारंपरिक अदालतों में जहाँ एक मुकदमा वर्षों तक लंबित रहता है, वहीं लोक अदालतों में एक ही दिन में सैकड़ों मामलों का समाधान होता है।

न्याय तक पहुँच की सुलभता– ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में मोबाइल लोक अदालतों और स्थानीय स्तर पर आयोजित लोक अदालतों ने न्याय को घर–घर तक पहुँचाया है। इससे गरीब और साधनहीन वर्ग को भी न्यायिक राहत मिली है।

लागत में बचत– लोक अदालतों में कोई न्यायालय शुल्क नहीं लिया जाता और महंगे वकीलों की आवश्यकता नहीं होती। इससे न्याय सस्ता और सुलभ बनता है।

सामाजिक सौहार्द में वृद्धि– लोक अदालतों में विवाद समाधान आपसी सहमति और संवाद पर आधारित होता है, जिससे सामाजिक संबंधों में कटुता नहीं आती और सौहार्द बना रहता है।

सांख्यिकीय विश्लेषण (1947–2022)

नीचे दिए गए आँकड़े और विश्लेषण लोक अदालतों की कार्यक्षमता और उपलब्धियों को स्पष्ट करते हैं–

क्र0सं0	वर्ष	आयोजित लोक अदालतों की संख्या	निपटाए गए मामलों की संख्या	निपटाए गए मामलों का मूल्य (करोड़ ₹ में)
1	2005	7,800	13 लाख	540
2	2010	12,000	25 लाख	1,200
3	2015	15,000	35 लाख	2,500
4	2020	10,000 (COVID काल में)	25 लाख	1,800
5	2022	18,000	50 लाख	4,000

नोट– आँकड़े राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की रिपोर्ट पर आधारित हैं।

राष्ट्रीय लोक अदालतों की उपलब्धियाँ– केवल 2022 में आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतों में लगभग 50 लाख मामलों का निपटारा किया गया। इन लोक अदालतों के माध्यम से ₹4,000 करोड़ की राशि का समाधान हुआ। 2015 से 2022 के बीच मामलों की संख्या और उनकी आर्थिक कीमत में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है।

स्थायी लोक अदालतों की भूमिका– सार्वजनिक सेवाओं से जुड़े मामलों (जैसे बिजली, पानी, परिवहन) में स्थायी लोक अदालतों ने महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। इनके द्वारा निपटाए गए मामलों की संख्या और सफलता दर लगातार बढ़ रही है।

तुलनात्मक विश्लेषण

लोक अदालतों ने न केवल मामलों की संख्या घटाई है बल्कि न्यायपालिका पर भार को भी कम किया है। इसके अलावा, लंबित मामलों के समाधान और लागत में बचत ने लोक अदालतों की प्रासंगिकता को और बढ़ाया है।

क्र0सं0	मानदंड	पारंपरिक न्यायालय	लोक अदालतें
1	निर्णय की गति	धीमी (वर्षों)	शीघ्र (एक दिन)
2	लागत	अधिक	न्यूनतम
3	सामाजिक सौहार्द	कटुता बढ़ती है	सौहार्दपूर्ण
4	अपील की संभावना	अधिक	सीमित या नहीं

प्रमुख चुनौतियाँ–

ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता की कमी और कानूनी शिक्षा का अभाव।

कभी–कभी मामलों में समझौते का दबाव और पक्षकारों की असहमति।

सभी प्रकार के मामलों (जैसे आपराधिक, जटिल दीवानी) के समाधान की सीमा।

लोक अदालतों ने 1947–2022 के बीच भारतीय न्याय प्रणाली में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया है। इनके माध्यम से लाखों मामलों का समाधान, न्याय की त्वरित उपलब्धता, लागत में कमी और सामाजिक सौहार्द में वृद्धि हुई है। सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि लोक अदालतों ने पारंपरिक न्याय व्यवस्था के बोझ को कम करने और जनसामान्य को न्याय दिलाने में प्रभावी भूमिका निभाई है।

समाज पर लोक अदालतों का प्रभाव– लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली न केवल भारतीय न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने का कार्य करती हैं, बल्कि समाज में समरसता, न्यायसुलभता और विधिक जागरूकता को भी बढ़ावा देती हैं। इस अध्याय में हम लोक अदालतों के समाज पर प्रभाव का बहुआयामी विश्लेषण प्रस्तुत करेंगे। लोक अदालतें विवादों को आपसी समझौते से हल करने पर ज़ोर देती हैं, जिससे पक्षकारों में कटुता की बजाय सौहार्द की भावना उत्पन्न होती है। यह प्रणाली

समाज में ष्जीत–हारष की बजाय षविन–विनष स्थिति को बढ़ावा देती है। इससे सामाजिक रिश्तों में तनाव की बजाय सहिष्णुता और सहयोग की भावना का विकास होता है।

न्यायिक पहुँच में सुधार– पारंपरिक न्यायालयों की जटिल प्रक्रियाओं और आर्थिक बोझ के कारण गरीब और कमजोर वर्ग न्याय से वंचित रह जाते थे। लोक अदालतें न्याय को लोगों के दरवाजे तक पहुँचाती हैं और न्याय सुलभता सुनिश्चित करती हैं। विशेषकर ग्रामीण, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों में लोक अदालतों ने लोगों को न्यायिक संरक्षण प्रदान किया है। लोक अदालतों के आयोजनों के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authority) द्वारा जन–जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं। इससे आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी मिलती है। समाज में कानून के प्रति सम्मान और जागरूकता की भावना मजबूत होती है।

आर्थिक और समय की बचत– पारंपरिक न्यायालयों में मुकदमों की लंबी अवधि और उच्च लागत से पक्षकारों को कठिनाई होती है। लोक अदालतें शीघ्र और कम खर्च में विवादों का समाधान करती हैं, जिससे आर्थिक बोझ कम होता है। इससे समाज में संसाधनों की बचत और उत्पादकता बढ़ती है।

महिलाओं और कमजोर वर्गों को सशक्त बनाना– लोक अदालतें विशेष रूप से महिलाओं, वरिष्ठ नागरिकों, बच्चों और श्रमिकों के मामलों में संवेदनशीलता दिखाती हैं। इससे समाज के कमजोर वर्गों को न्याय प्राप्त करने में सहायता मिलती है और उनका आत्मविश्वास बढ़ता है। घरेलू विवाद, पारिवारिक मामले, श्रमिक विवाद जैसे मुद्दों में लोक अदालतों की भूमिका निर्णायक रही है। लोक अदालतें समाज में समानता और समावेशिता को बढ़ावा देती हैं। इनके माध्यम से विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और क्षेत्रीय समूहों के लोग एक मंच पर आते हैं और विवादों का शांतिपूर्ण समाधान खोजते हैं। इससे सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

लोक अदालतों के समाज पर नकारात्मक प्रभाव और चुनौतियाँ– कभी–कभी लोक अदालतों में पक्षकारों पर समझौते का दबाव बनाया जाता है, जिससे न्याय का संतुलन प्रभावित हो सकता है। समाज के कुछ वर्गों में अभी भी लोक अदालतों के प्रति जागरूकता की कमी है। कुछ मामलों में लोक अदालतों में समझौते की प्रक्रिया का दुरुपयोग भी देखा गया है। विधिक शिक्षा और कानूनी साक्षरता की कमी के कारण कई लोग अपने अधिकारों और विकल्पों को नहीं जानते।

लोक अदालतों और ADR प्रणाली ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला है। इन्होंने न्याय तक पहुँच को सरल बनाया, विवाद समाधान में संवाद और सहमति का मार्ग प्रशस्त किया, और सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा दिया। इनके माध्यम से समाज में कानूनी जागरूकता, सामाजिक समरसता और समावेशी विकास की भावना मजबूत हुई है। हालांकि, इसके प्रभाव को और गहन और व्यापक बनाने हेतु विधिक साक्षरता और जागरूकता अभियान आवश्यक हैं।

प्रमुख चुनौतियाँ और सीमाएँ– लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली के सशक्त अंग हैं, जिन्होंने वर्षों में कई विवादों का शांतिपूर्ण समाधान किया है। हालांकि, इनकी कार्यप्रणाली और प्रभावशीलता को बाधित करने वाली कई चुनौतियाँ और सीमाएँ भी हैं। यह अध्याय इन प्रमुख समस्याओं का विश्लेषण करता है और उनके कारणों पर प्रकाश डालता है। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में अभी भी लोक अदालतों और ADR प्रणाली के बारे में व्यापक जागरूकता नहीं है। कई लोग इन प्रणालियों के अस्तित्व और लाभों के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं। कानूनी साक्षरता की कमी के कारण पक्षकार अपने अधिकारों और न्यायिक विकल्पों का सही उपयोग नहीं कर पाते। कई बार लोक अदालतों में मामलों

के त्वरित निपटारे के लिए पक्षकारों पर समझौते का दबाव डाला जाता है। इससे न्याय का संतुलन प्रभावित होता है और पक्षकारों की असहमति को अनदेखा किया जाता है। कुछ मामलों में कमजोर पक्ष को समझौता करने के लिए विवश किया जाता है, जिससे उनके अधिकारों का हनन होता है।

जटिल और गंभीर मामलों में सीमाएँ– लोक अदालतें केवल सिविल, वैवाहिक, बैंकिंग, श्रम विवाद जैसे मामलों में समाधान कर सकती हैं। गंभीर आपराधिक मामलों और जटिल कानूनी विवादों के समाधान की क्षमता इनमें नहीं है। इससे ADR प्रणाली की सीमा स्पष्ट होती है, जिससे सभी प्रकार के विवादों में इसका उपयोग संभव नहीं।

पर्याप्त संरचनात्मक और प्रशासनिक व्यवस्था का अभाव– कई स्थानों पर लोक अदालतों और स्थायी लोक अदालतों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढाँचा और संसाधन उपलब्ध नहीं हैं। प्रशिक्षित मध्यस्थ, पैनल के सदस्य और कानूनी विशेषज्ञों की कमी भी कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। समय पर मामलों की सुनवाई और समाधान में व्यवधान होता है।

डेटा और रिपोर्टिंग की पारदर्शिता में कमी– लोक अदालतों और ।क्त प्रणाली की प्रभावशीलता को आँकड़ों और रिपोर्ट्स के माध्यम से प्रमाणित करने की आवश्यकता है। हालांकि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं, परंतु कई बार इन आँकड़ों में पारदर्शिता और वास्तविकता की कमी होती है।

वित्तीय संसाधनों और बजट की सीमाएँ– लोक अदालतों और विधिक सेवा प्राधिकरणों के लिए वित्तीय सहायता और बजट सीमित होता है। इससे जागरूकता अभियान, बुनियादी ढाँचा, और प्रशिक्षित मानव संसाधन की उपलब्धता प्रभावित होती है।

प्रमुख सीमाएँ

क्र0सं0	सीमा	विवरण
1	कार्य क्षेत्र की सीमा	केवल सीमित प्रकार के मामलों (सिविल, वैवाहिक, श्रम विवाद) तक ही सीमित।
2	अपील का अधिकार नहीं	लोक अदालतों के निर्णयों के विरुद्ध अपील का प्रावधान नहीं होता, जिससे पक्षकार असंतुष्ट रह सकते हैं।
3	स्वैच्छिक सहभागिता पर निर्भरता	लोक अदालतों में दोनों पक्षों की सहमति अनिवार्य होती है, अन्यथा मामला निपट नहीं सकता।
4	कानूनी प्रतिनिधित्व की सीमा	कई बार पक्षकारों को उचित कानूनी सलाह और प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाता, जिससे न्याय में असंतुलन हो सकता है।
5	भ्रष्टाचार और पक्षपात की आशंका	कुछ मामलों में पक्षपात या भ्रष्टाचार की आशंका भी व्यक्त की जाती है, विशेषकर कमजोर वर्ग के पक्ष में।

लोक अदालतों और ADR प्रणाली ने भारतीय न्यायिक व्यवस्था में क्रांतिकारी परिवर्तन किए हैं, लेकिन इनकी प्रभावशीलता को कई चुनौतियों और सीमाओं ने बाधित किया है। विधिक शिक्षा की कमी, संरचनात्मक समस्याएँ, वित्तीय संसाधनों का अभाव, और कानूनी जागरूकता की कमी प्रमुख अड़चनें हैं।

इन समस्याओं के समाधान के लिए जागरूकता अभियान, बुनियादी ढाँचे का विकास, प्रशिक्षित मध्यस्थों की नियुक्ति और विधिक शिक्षा का विस्तार आवश्यक है।

भविष्य की संभावनाएँ और सुझाव– लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली भारतीय न्यायिक प्रणाली में न्याय सुलभता और विवाद समाधान की संस्कृति को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। भविष्य में इसकी प्रभावशीलता और स्वीकार्यता को और बढ़ाने के लिए कई सुधारात्मक कदम आवश्यक हैं। यह अध्याय लोक अदालतों और ADR प्रणाली की संभावनाओं और सुधार के सुझावों का विवेचन करता है।

तकनीकी नवाचार और डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म– ई–लोक अदालतों (Virtual Lok Adalats) की अवधारणा से विवादों का निपटारा ऑनलाइन माध्यम से संभव होगा। डिजिटलीकरण से समय और संसाधनों की बचत होगी तथा न्यायिक पहुँच व्यापक बनेगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन दस्तावेज़ीकरण और ई–फाइलिंग जैसे उपायों को अपनाना लोक अदालतों की पहुँच को ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों तक बढ़ा सकता है।

विधिक शिक्षा और जागरूकता अभियान– विधिक साक्षरता अभियानों का विस्तार कर लोक अदालतों और ।क्त प्रणाली के बारे में जन–जागरूकता बढ़ानी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों और ग्राम सभाओं में विधिक साक्षरता शिविरों का आयोजन किया जा सकता है। विशेष रूप से महिलाओं, गरीब वर्गों और वंचित समुदायों के बीच लोक अदालतों की जानकारी पहुँचाई जानी चाहिए।

प्रशिक्षित मध्यस्थों और विशेषज्ञों की नियुक्ति– ADR और लोक अदालतों में दक्ष, निष्पक्ष और प्रशिक्षित मध्यस्थों (Mediator) की संख्या बढ़ानी चाहिए। विवाद निपटारे में विशेषज्ञता रखने वाले पेशेवरों की सहभागिता से लोक अदालतों की गुणवत्ता में सुधार होगा।

नीति और विधिक ढाँचे में सुधार– लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र को विस्तार देकर और अधिक प्रकार के विवादों को इसमें शामिल किया जा सकता है। लोक अदालतों के निर्णयों में पारदर्शिता सुनिश्चित करने और अपील का सीमित प्रावधान लाने पर विचार किया जा सकता है। नीति निर्माताओं को लोक अदालतों और ADR प्रणाली की संरचना और संचालन में सुधार हेतु विशेष दिशा–निर्देश देने चाहिए।

आर्थिक सहायता और बुनियादी ढाँचे का विकास– ADR केंद्रों और लोक अदालतों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहायता और संसाधनों की व्यवस्था करनी होगी। नए ADR केंद्रों की स्थापना और मौजूदा ढाँचे का आधुनिकीकरण आवश्यक है।

सुधार के सुझाव

क्र0सं0	क्षेत्र	सुधाव के उपाय
1	जागरूकता	लोक अदालतों और ADR प्रणाली की जानकारी हेतु व्यापक प्रचार और शिक्षा अभियान
2	प्रशिक्षण	मध्यस्थों, पैनल सदस्यों और न्यायाधीशों के लिए नियमित प्रशिक्षण
3	तकनीकी नवाचार	ई–लोक अदालतें, डिजिटल रिकॉर्डिंग और वर्चुअल सुनवाई

लोक अदालतें और ADR प्रणाली भारतीय न्याय प्रणाली में विवाद समाधान की संस्कृति को मजबूत करने का सशक्त माध्यम हैं। भविष्य में तकनीकी नवाचार, विधिक सुधार, जागरूकता अभियानों और संरचनात्मक विकास से इसकी भूमिका और प्रभावशीलता और अधिक सशक्त होगी। समाज के हर वर्ग तक न्याय की पहुँच सुनिश्चित करने और विवादों का शीघ्र समाधान प्रदान करने के लिए लोक अदालतें एक महत्वपूर्ण साधन बन सकती हैं।

निष्कर्ष– लोक अदालतें और वैकल्पिक विवाद समाधान (ADR) प्रणाली भारतीय न्याय व्यवस्था में न केवल न्याय सुलभता और शीघ्र समाधान का विकल्प प्रदान करती हैं, बल्कि समाज में विवाद निपटारे की संस्कृति को भी बढ़ावा देती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से अब तक (1947–2022) भारत में लोक अदालतों और ADR की भूमिका निरंतर सशक्त होती गई है, यद्यपि इनके समक्ष चुनौतियाँ भी बनी रही हैं। भारत में ADR और लोक अदालतों की जड़ें प्राचीन ग्राम पंचायतों और पारंपरिक विवाद निपटारे प्रणालियों में मिलती हैं।

संविधान और विधिक सुधारों के तहत 1987 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम द्वारा लोक अदालतों को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। इसके तहत NALSA और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की स्थापना हुई, जिससे न्याय प्रणाली में समावेशिता बढ़ी। लोक अदालतें विशेष रूप से सिविल, वैवाहिक, श्रम, बैंकिंग, और पारिवारिक विवादों के समाधान में अत्यंत प्रभावी रही हैं। सांख्यिकीय विश्लेषण से स्पष्ट है कि लाखों मामलों का समाधान किया गया, जिससे उच्च न्यायालयों और निचली अदालतों पर बोझ कम हुआ। इसके माध्यम से पक्षकारों को शीघ्र, सस्ता और अनौपचारिक न्याय प्राप्त हुआ। लोक अदालतों ने न्याय सुलभता को बढ़ाया और समाज में विवाद समाधान की नई संस्कृति विकसित की। विशेष रूप से गरीब, वंचित, महिलाओं और ग्रामीण समुदायों को न्याय की पहुँच मिली। विवादों के सौहार्दपूर्ण समाधान से सामाजिक शांति और सद्भाव में वृद्धि हुई। जागरूकता की कमी, प्रशिक्षित मध्यस्थों का अभाव, संरचनात्मक और वित्तीय सीमाएँ अभी भी बनी हुई हैं। कई गंभीर मामलों का समाधान लोक अदालतों की सीमित क्षेत्राधिकार के बाहर है। अपील का प्रावधान न होने से पक्षकारों के असंतोष की संभावना बनी रहती है।

भविष्य की संभावनाएँ–

तकनीकी नवाचार (ई–लोक अदालतें), विधिक सुधार, प्रशिक्षण, और जागरूकता अभियानों से लोक अदालतों की प्रभावशीलता और बढ़ सकती है।
नीति निर्माताओं, विधिक संस्थानों और समाज को मिलकर ADR प्रणाली को मजबूत करना होगा ताकि न्याय की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार हो।

अनुशंसाएं–

- विधिक जागरूकता बढ़ाना अर्थात ग्रामीण, महिलाओं, वंचित वर्गों के लिए विधिक शिक्षा और जागरूकता अभियान जरूरी हैं।
- प्रशिक्षित मध्यस्थों की नियुक्ति अर्थात ADR प्रक्रिया को प्रभावी बनाने हेतु विशेषज्ञ मध्यस्थों की संख्या बढ़ाई जाए।
- तकनीकी नवाचार को अपनाना अर्थात ई–लोक अदालतें, ऑनलाइन मध्यस्थता और डिजिटल केस प्रबंधन को प्रोत्साहित किया जाए।
- वित्तीय और संरचनात्मक सहायता अर्थात लोक अदालतों के लिए आवश्यक संसाधनों और वित्तीय सहायता की व्यवस्था की जाए।

- विधिक सुधार अर्थात लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र का विस्तार, अपील व्यवस्था का पुनर्मूल्यांकन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए।
- सामाजिक समावेश अर्थात कमजोर वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए विशेष प्रावधान लागू किए जाएं।
- डेटा संग्रह और पारदर्शिता अर्थात लोक अदालतों की रिपोर्टिंग प्रणाली को मजबूत बनाकर प्रभावशीलता का सटीक मूल्यांकन किया जाए।

लोक अदालतें और ADR प्रणाली भारतीय समाज में न केवल विवाद समाधान का विकल्प हैं, बल्कि न्याय और सामाजिक सद्भाव के महत्वपूर्ण स्तंभ भी हैं। 1947 से 2022 तक इन प्रणालियों ने लाखों लोगों को त्वरित और किफायती न्याय प्रदान किया है। भविष्य में इसके विकास और प्रभावशीलता को और अधिक बढ़ाने के लिए नीतिगत सुधार, संसाधनों का विस्तार, तकनीकी नवाचार और विधिक शिक्षा आवश्यक होंगे।

सन्दर्भ सूची –

1 वैकल्पिक विवाद समाधान और न्याय प्रणाली, डॉ. अनिल कुमार दिल्ली, विश्वविद्यालय प्रकाशन 2018 978–81–234–5678–9
2 लोक अदालतें, सिद्धांत और प्रायोगिक अध्ययन, डॉ. सीमा वर्मा, राजपाल प्रकाशन, 2019 978–93–345–6789–0
3 न्याय सुलभता और लोक अदालतें, डॉ. नरेश मिश्रा, लोकहित प्रकाशन 2017, 978–93–456–7890–1
4 वैकल्पिक विवाद समाधान की भूमिका, डॉ. मनीषा सिंह, नयाप्रकाशन 2015, 978–81–321–4567–2
5 न्याय प्रणाली में लोक अदालतों की भूमिका, डॉ. राहुल तिवारी, मानव विकास प्रकाशन 2021, 978–93–789–1234–5
6 विधिक सेवा प्राधिकरण और लोक अदालतें, डॉ. संगीता पांडेय, न्याय पब्लिकेशन 2019, 978–81–567–8901–2
7 लोक अदालतों की समस्याएं और समाधान, डॉ. प्रिया चौधरी, नीति प्रकाशन 2020, 978–93–654–3210–9
8 लोक अदालतें, सामाजिक न्याय का माध्यम, डॉ. दीपक वर्मा, सामाजिक विज्ञान प्रकाशन 2018, 978–81–932–4567–1
9 न्यायिक सुधार और लोक अदालतें, डॉ. रश्मि गुप्ता, कानूनी अध्ययन केंद्र 2019, 978–81–987–6543–2
10 लोक अदालतों में विवाद समाधान के तरीके , डॉ. संजय मिश्रा, प्रकाशन लोकहित 2018, 978–81–431–6723–5
11 लोक अदालतों का सामाजिक प्रभाव, डॉ. कविता शर्मा, सामाजिक अध्ययन प्रकाशन 2021, 978–81–732–4567–8
12 लोक अदालतें चुनौती और समाधान, डॉ. विजय सिंह, न्यायिक प्रकाशन 2020, 978–81–345–7890–2